न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 27 / 2021
जीसीएमएस : 2021 / 324

01. रामचन्द्र पुत्र श्री पोलाराम जाति बिश्नोई साकिन 2 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। (मृतक)
1 / 1. ओमीदेवी पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन 2 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला राज.।
1 / 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन 2 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला राज.।
1 / 3. विजयपाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन 2 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला राज.।
1 / 4 दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन 2 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला राज.। –:प्रार्थीगण

बनाम

1. औकार पुत्र श्री मनोहर जाति बिश्नोई साकिन हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागढ. राज.।
2. तहसीलदार (राजस्व) तहसील रायसिंहनगर राज.। अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:–03.08.2021

उपस्थितः 1.श्री अजय धारणियां प्रार्थीगण अधि.।
2. श्री गुरप्रताप सिंह अप्रार्थी अधिवक्ता।

दिनांक 24.12.2024

––निर्णय––

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारा चक 3 एम. एस. डी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 149 / 331 मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 14, 20 में कुल 3.795 है. नहरी मय खाला भूमि दर्ज रिकार्ड है जो प्रार्थी के कब्जा काश्त मे है। प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने व काश्त करने हेतु अप्राथीगण के चक 3 एम.एस.डी. तसहील रायसिंहनगर के मु.नं. 33 पं.नं. 149 / 331 के कि.नं. 15 ता 19, 21 ता 25 में कुल 2.404 है0 नहरी बारानी मय खाला भूमि में से कि.नं. 21 में सें 1 बिस्वा यानि .013 है. पश्चिमी पाशा में रास्ता स्वीकृत कि फरमाया जावे जाने हेतु आवेदन किया है चक 3 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 33 पं.नं. 149 / 331 के कि.नं. 21 के पश्चिमी पाशा में 1 बिस्वा यानि .013 है. रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। रास्ता में आने वाली भूमि के बराबर भूमि देने या भूमि के डी.एल.सी. दर अथवा बाजार भाव के बराबर कीमत अदा करने के लिए प्रार्थी सहमत है। इसलिए चक 3 एम.एस.डी. के मु.नं. 33 पं.नं. 149 / 331 के कि.नं. 21 के पश्चिमी पासा पर .013 है. रास्ता स्वीकृत किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री गुरप्रतापसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्र.स. 72 / 21 में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण सं. 37 / 21 में अप्रार्थी ओकार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवेदन आवेदक स्वीकार फरमाया जावे। आवेदक अपनी जोत में पहूँच के प्रयोजनार्थ मिन अनावेदन की भूमि चक 3 एम एस डी तहसील रायसिंहनगर के खाता नं. 7 / 6 में प.न. 149 / 331 मु.न. 33 कि.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

25/1 की 0.202 , 16/1 व 15/1 प्रत्येक में 0.228 है. मे से पूर्वी पासा खाला के साथ डेढ–डेढ़ बिस्वा 0.019–0.019 है. कुल 0.057 है. अस्वीकृत चालू रास्ता को स्वीकृत कर दिया जाता है तो मिन अनावेदक को कोई एतराज नहीं है ओर मिन अनावेदक ने आवेदक से कोई मुआवजा भी वसूल नहीं पाना चाहता है।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2021/1476 दिनांक 06.10.2021 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट व जमाबंदी चक 3 एम एस डी के प.नं. 149/331 मु.नं. 33 कि.न. 1 ता 14–20 सालम कुल 3.795 है. कमाण्ड मय खाला भूमि प्रार्थी रामचन्द पुत्र पोला राम जाति बिश्नोई सा. भागसर डाबला खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायसिंहनगर के राहिन दर्ज रिकॉर्ड है। इसी चक के प.नं. 149/331 मु.नं. 33 कि.न. 15 ता 19 सालम , 21/1 के 0.228, 22/1 के 0. 227, 23/2 के 0.228, 24/1 के 0.228, 25/1 के 0.202 , 25/3 के 0.026 है. कुल 2.404है. कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला भूमि अप्रार्थी औकार पुत्र मनोहर जाति बिश्नोई सा. हरदयालपुरा खातेदार राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमस शाखा जैतसर दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में जाने हेतु चक 3 एम एस डी के मु.न. 33 के कि.न. 21 ता 25 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता से इसी मु.न. 33 के कि.न. 21 में 0.013 है. रास्ता स्वीकृत से निकटतम दूरी पर है। जो स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि मु.नं. 33 के कि.नं. 21 के पश्चिमी पासा में 1 बिस्वा यानि .013 है. रास्ता फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में पूर्व में प्रस्तुत जबाव प्रार्थना–पत्र में अपनी रास्ता स्वीकृत किया जाना की सहमति की है।

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है प्रार्थीगण को मु.नं. 33 के कि.नं. 21 के पश्चिमी पासा में 1 बिस्वा यानि 0.013 है. स्वीकृति दिया जाना उचित है यह कथन तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में अंकित है अन्य विकल्पक से स्वीकृति देने से प्रार्थीगण को नुकसान होगा तथा अप्रार्थी में पूर्व में प्रस्तुत जबाव प्रार्थना–पत्र में रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है। ऐसे में उक्त तथ्यो के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 क स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है। दोनों प्रकरण सं. 27/21 एवं 37/21 में एक साथ निर्णय किया जाता है। उक्त रास्ता चक3 एम एस डी के प.न. 149/331 मु.नं. 33 के कि.नं. 21 के पश्चिमी पासा में 1 बिस्वा यानि 0.013 है. रास्ता प्रकरण सं. 27/21 में स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बजरिये साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 3 एम एस डी के प.नं. 149/331 मु.नं. 33 के कि.नं. 21 के पश्चिमी पासा में 1 बिस्वा यानि 0.013 है. गै.मु.रा.स्वीकृत किया जाता है।

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा करवाकर अप्रार्थीगण को भुगतान करें। इस के उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्णय की प्रति पालना हेतु प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:17:40 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner